

**दिनांक 11.01.2023 को मंडल आवास समिति एवं कॉलोनी केयर कमिटी की
बैठक की कार्यवृत्त।
उपस्थिति**

(सर्वश्री)			(सर्वश्री)		
1	योगेश कुमार	अमरेप्र- I	9	सुमित कुमार	मयाइ/टीएस- II
2	दीपक राज राय	मकाधि (प्र0)	10	स्मिता नारायण	मविइ (टीआरओ)
3	रश्मिकांत	अमुचिधि	11	शिवेन्द्र कुमार	मविई/प्र0/सा0
4	अमित कुमार सिंह	वमविप्र	12	चन्द्र किशोर	सकाधि- I
5	विक्रमा राम	वमसक्षाधि	13	नरेन्द्र कुमार	समवाप्र
6	अभिषेक कुमार	वमविई/टीआरडी	14	एस.सी.त्रिवेदी	मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू
7	अजय सिंह	मसिदूई	15	संतोष कुमार	मंडल सचिव, AISCTREA
8	सुरेन्द्र कुमार	मई(मुख्या0)			

मकाधि (प्र0) का संबोधन: सर्वप्रथम इस बैठक के अध्यक्ष-सह-अमरेप्र, मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, मंडल सचिव (अजा/अजजा) एसोशियेशन, तथा उपस्थित सभी शाखाधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही का शुभारंभ किया गया।

श्री एस0सी0त्रिवेदी, मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू का संबोधन : अमरेप्र, मकाधि (प्र0), उपस्थित अन्य शाखाधिकारी तथा AISCTREA/मंडल मंत्री श्री संतोष कुमार का इस साल के प्रथम मंडल आवास समिति में ईसीआरकेयू की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि आवास आवंटन का मामला कर्मचारी हित से जुड़ा हुआ है। मंडल आवास समिति जैसी महत्वपूर्ण बैठक में शाखाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि आवासों का आवंटन संबंधी प्रक्रियाओं एवं आवंटन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से वे अवगत रहें। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अधिकारीगण का स्थानान्तरण एवं पदस्थापना नियमित अन्तराल पर होती रहती है और यदि बैठक नियमित समय से होती रहेंगी तो नये अधिकारी भी आवास आवंटन नीति से अवगत रहेंगे और नियमानुसार आवास का आवंटन हो सकेगा। इसी के साथ इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव व्यक्त किए:

(i)	वर्ष 2013 से अब तक आयोजित मंडल आवास समिति की बैठक के कार्यवृत्त का संकलन करते हुए एक ई-बुकलेट बनाया जाए। इसमें आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति एस0बी0एफ0 से किया जा सकता है।
(ii)	आवासों का आवंटन मंडल के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर बनाई गई संबंधित आवास समिति के माध्यम से ही होनी चाहिए।
(iii)	आवासों के आवंटन के समय आवास समिति की नियमावली का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।
(iv)	आवास आवंटन हेतु अनुरक्षित प्राथमिकता पंजिका में प्रत्येक माह आवास समिति के प्रत्येक सदस्य का हस्ताक्षर हो तथा प्राथमिकता पंजिका को प्रति माह सूचना पट्ट तथा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, ताकि सभी कर्मचारी इसे अवलोकित कर सकें।
(v)	कोई भी रेल आवास शाखाधिकारी के स्तर पर आवंटित न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। आवास आवंटन के मामले जो शाखाधिकारी के पास आएँ उसको संबंधित आवास समिति को रेफर किया जाए।

श्री संतोष कुमार मंडल मंत्री, AISCTREA का संबोधन : अमरेप्र-1, मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू तथा उपस्थित अन्य शाखाधिकारियों का वर्ष की पहली मंडल आवास समिति की बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने कुछ मुद्दे प्रशासन के संज्ञान में लाया, जो निम्नवत है:

(i)	अज/अजजा कर्मचारियों हेतु नियमानुसार एक अलग प्राथमिकता पंजिका खोली जाए। साथ ही, अन्य कर्मचारियों के लिए जारी प्राथमिकता पंजिका में भी उनका नाम दर्ज हो।
(ii)	कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप में अज/अजजा के सदस्यों को भी शामिल किया जाए तथा कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप के द्वारा निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
(iii)	गढहरा में पानी की सप्लाई निरंतर की जाए। वहां पर पानी स्टोर किए जाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां पर आवासित रेल कर्मचारियों को पानी की काफी समस्या होती है।

मद:

मद सं0: 1/23	सभी रेल कर्मचारी आवासों का आवंटन विभिन्न आवास समितियों के द्वारा होना है। इस संबंध में मंडल आवास समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है। परंतु कई मामलों में बिना आवास समिति की बैठक किये हुए आवास का आवंटन हो रहा है, जो लिए गए निर्णय का अवहेलना है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगान की व्यवस्था किया जाए।
निर्णय	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित आवास समिति के माध्यम से रेल आवास का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में इससे इतर आवंटित आवास मान्य नहीं होगा।

मद सं0: 2/23	पूरे सोनपुर मंडल में कर्मचारी आवासों की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है। इतना ही नहीं सेफ्टी टैंक, रोड एवं एप्रोच की स्थिति भी दयनीय है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
निर्णय	इस मद को पीएनएम के मद में स्थानांतरित किया जाए।

मद सं0: 3/23	जेनरल पुल के आवास काफी जर्जर है और वह रहने लायक नहीं है, जिस कारण कर्मचारी आवेदन नहीं कर रहे हैं एवं आवंटन नहीं हो रहा है। अतः संघ मांग करती है कि उक्त आवासों को परित्यक्त कर दिया जाये या सामान्य पुल के सभी मरम्मत होने लायक आवासों को मरम्मत कराकर रहने लायक बना दिया जाये, जिससे कर्मचारी ले सके।
निर्णय	इस मद को पीएनएम के मद में स्थानांतरित किया जाए।

मद सं0: 4/23	मुजफ्फरपुर/बह्मपुरा रेलवे कॉलोनी में कुछ विस्थापित कर्मचारी को अपर मंडल रेल प्रबंधक-1 के आदेशानुसार लम्बे समय से खाली पड़े आवासों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था कराकर तत्काल उक्त आवास में उन्हें रहने के लिए दिया गया। लेकिन आवंटन की प्रक्रिया लंबित है। अतः संघ मांग करती है कि उक्त सभी आवासों को यथाशीघ्र आवंटित कर दिया जाये।
निर्णय	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री राजीव कुमार मिश्रा, प्वाइंट्समैन, परिचालन के दिए गए आवेदन के शीर्ष पर आवास संख्या ए-300, लोको कॉलोनी, मुजफ्फरपुर को आवंटित किया जाता है। 2. श्री धर्मेन्द्र कुमार दास, हेल्पर/समाडि/मुज0 के दिए गए आवेदन के शीर्ष पर आवास संख्या जी-164 (टाइप-1), ब्रम्हपुरा कॉलोनी, मुजफ्फरपुर को आवंटित किया जाता है।

मद सं०: 5/23	आवास आवंटन में प्राथमिकता पंजिका रजिस्टर में पारदर्शिता का अभाव है। पुल होल्डर को यह निर्देश दिया जाये कि पारदर्शिता बरती जाये।
निर्णय	प्राथमिकता पंजिका हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता पंजिका में सक्षम प्राधिकारी का प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रतिहस्ताक्षर हो। इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित आवास समिति की बैठक होने के तुरंत बाद अधिमानतः उसी दिन या अगले दिन कार्यवृत्त जारी कर दिया जाए। आवास समिति की बैठक में उसी प्राथमिकता पंजिका को प्रस्तुत किया जाए, जिसमें सारे प्राधिकारी के हस्ताक्षर हो। साथ ही, प्राथमिकता पंजिका के अनुरक्षण में आरक्षित समुदाय हेतु रेलवे बोर्ड के प्रावधान का अनुपालन किया जाए। वैसे रेल आवास जो लंबे समय से खाली है, और उस आवास के आवंटन हेतु कोई पात्र कर्मचारी का आवेदन नहीं है, ऐसे मामलों में रेल राजस्व की क्षति से बचने के लिए निचले ग्रेड के कर्मचारियों को प्रचलित पद्धतिनुसार विचार किया जा सकता है।

मद सं०: 6/23	मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर नवनिर्मित आवासों का पुल आवंटन न होने से उस पर अवैध कब्जा हो रहा है, जिसे रोकने के लिए नवनिर्मित आवासों का पुल आवंटन किया जाये।
निर्णय	पुल आवंटन की बैठक कराकर इसको जल्द से निपटारा कराया जाए।

मद सं०:
7 / 23

रेलवे बोर्ड के पत्र के द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरण के उपरांत पूर्व के स्थान पर आवास रखने के लिए खण्ड का निर्धारण बैठक करके करना है वह बैठक भी काफी लम्बे समय से लंबित है। अतः बैठक कराकर खण्ड का निर्धारण जल्द से जल्द किया जाये।

निर्णय

बैठक में आम सहमति से सोनपुर मंडल में निम्न प्रकार खण्ड का निर्धारण किया गया:

क्र०सं०	खण्ड	खण्ड का नाम
1	सेमापुर से मानासी	खण्ड 'क'
2	मानासी से तिलरथ	खण्ड 'ख'
3	बरौनी से समस्तीपुर	खण्ड 'ग'
4	समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर	खण्ड 'घ'
5	हाजीपुर से गोल्डेनगंज	खण्ड 'ङ'
6	सोनपुर से मुजफ्फरपुर	खण्ड 'च'
7	सोनपुर से बछवारा	खण्ड 'छ'

यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित रेल खण्ड के बीच में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में उनके कार्य स्थल पर उनके दावेदारी के अनुसार रेल आवास रिक्त नहीं होने की स्थिति में अपने पुराने कार्य स्थल पर जब तक नये कार्य स्थल रेल आवास उपलब्धता न हो जाए अवधारित करके रख सकते हैं।

मद सं०: 8/23	सोनपुर मंडल में कार्यरत महिलाओं के लिए रिलिविंग लॉज की व्यवस्था करने के संबंध में।
निर्णय	इस मद को पीएनएम के मद में स्थानांतरित किया जाए।

उपरोक्त मदों के चर्चोपरांत मंडल आवास समिति की बैठक में कुछ अन्य निर्णय पारित हुए जो निम्न रूपेण है:

1. समई (दक्षिण), मुज0 के पत्रांक डब्लू/38/आवास/मुज0/1055 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा संसूचित है कि मुजफ्फरपुर रेलवे अस्पताल के परिसर में निवनिर्मित दो इकाई टाइप-1। आवास का पूल निर्धारण तदनुसार चिकित्सा विभाग के लिए किया जाता है।
2. पूल आवंटन के लिए नवनिर्मित आवास के पूल आवंटन हेतु यह निर्णय लिया गया कि इंजीनियरिंग विभाग एवं कार्मिक विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र तैयार करते हुए यथाशीघ्र पूल आवंटन की बैठक अधोहस्ताक्षरी के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

अमरेप्र महोदय का संबोधन : यूनियन/एशोसियेशन के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह मेरी पहली बैठक थी। आज मंडल आवास समिति के स्वरूप पर चर्चाओं के साथ बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हुई जिसका मूल सारांश यह है कि आवासों का आवंटन आवास समिति द्वारा ही किया जाना चाहिए। कुछ बातें हुई जिसका निष्कर्ष यही निकाला गया कि

1. प्राथमिकता पंजिका पर समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह हस्ताक्षर कर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाए तथा इसे मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। साथ ही, आरक्षित समुदाय हेतु आवास आवंटन संबंधी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
2. आवास आवंटन संबंधी नियमावली है उसे एक किताब की शकल देकर इसे डिजिटल फार्म में प्रकाशित किया जाए।
3. नविनिर्मित आवासों का पूल आवंटन जल्द से जल्द कराया जाए।
4. रेल आवासों का आवंटन आवास समिति के माध्यम से ही किया जाए।
5. आवास आवंटन के समय संबंधित आवास समिति के सभी प्राधिकार के द्वारा हस्ताक्षरित प्राथमिकता पंजिका प्रस्तुत हो, इसका कड़ाई से पालन किया जाए।

YOGESH KUMAR
Digitally signed by
YOGESH KUMAR
Date: 2023.02.17
12:48:09 +05'30'

(योगेश कुमार)
अपर मंडल रेल प्रबंधक—।
सोनपुर ।

पत्र सं0: का/301/मंडल आवास समिति/सोन/10,

दिनांक /02/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- (i) निजी सचिव मरेप्र— मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- (ii) अमरेप्र—1।/सोन को सादर सूचनार्थ ।
- (iii) सभी शाखाधिकारी, सोनपुर मंडल ।
- (iii) मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू, AISCTREA एशो0, सोनपुर मंडल ।